

1266

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपखेड़ी

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136


प्र.सं. 985

दायर दिनांक

21/10/25

मिर्णय दिनांक

22/10/25



रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं राजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>रूपखेड़ी</u>	<u>136</u>	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.पू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>रूपखेड़ी</u> प.ह. <u>रूपखेड़ी</u> खातासं <u>136</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक-राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक	
			हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर पिरदावर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			पटवारी	<u>22-10-25</u>	
			नरसिंह पुरडा निवाडगढ़	<u>ILR</u>	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गढ़

तहसीलदार कपासन

तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ़